

## कार्यालय—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड (म0प्र0)

क्रमांक—५८... / कार्यविभाजन / सां.अनु. / २०२४      भिण्ड, दिनांक—१६./०४./२०२४

### कार्य—विभाजन पत्रक 2024

मैं राजीव कुमार अयाची प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड, इस स्थापना पर न्यायाधीशों के पदस्थापनाओं को दृष्टिगत रखते हुये भव्य प्रदेश सिविल न्यायालय नियम 1958 की धारा 7(2) व 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रधान जिला एवं सत्र खण्ड भिण्ड के लिये पूर्व में प्रसारित सभी आदेशों को अतिष्ठित करते हुये इस जिला स्थापना में कार्यरत समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड के मध्य सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024 तैयार कर निम्नानुसार कार्य विभाजन पत्रक 2024 जारी किया जाता है :—

#### भाग—१

#### प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के लिए

क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
१	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	संपूर्ण सत्र खण्ड भिण्ड एवं सिविल जिला भिण्ड की तहसील भिण्ड, बटेर, जिला भिण्ड का क्षेत्राधिकार	<p><b>आपराधिक प्रकरण :—</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>सत्र प्रकरण :— सत्र खण्ड, भिण्ड (रीन एवं मिहोना क्षेत्र से उद्भूत सहित)</li> <li>दापिंडक अपीलें :— समरत (रीन एवं मिहोना क्षेत्र से उद्भूत सहित)</li> <li>दापिंडक पुनरीक्षण याचिका :— समरत (रीन एवं मिहोना क्षेत्र से उद्भूत सहित)</li> <li>जमानत (प्रतिभूति) आवेदन पत्र :— द.प्र.सं. की धारा 438 एवं 439 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। (अन्यत्र उल्लेखित के अतिरिक्त)(रीन एवं मिहोना क्षेत्र से उद्भूत सहित)</li> <li>प्रकरणों के अंतरण/प्रत्याहरण :— धारा 408 एवं 409 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।</li> <li>दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 341 के अंतर्गत प्रकरण।</li> <li>आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा ६ (ग) के प्रकरण एवं उन्हें अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वे समरत आपराधिक प्रकरण जो केवल सत्र न्यायाधीश हारा ही विचारण योग्य हैं।</li> <li>किसी अधिनियम, नियम, अधिसूचना द्वारा या राज्य शासन या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायाधीश को अधिकृत किया गया हो तो तत्संबंधी समरत विशेष प्रकरण।</li> <li>विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना दिनांक 01.05.2010 एवं रजिस्ट्री के पृष्ठांकन क्रमांक ऐ./1416 दिनांक 02.06.2010 के अनुसार औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत धारा 13 के खण्ड (क) तथा (ख) धारा 22 की उपधारा (३), धारा 27 के खण्ड (क) तथा (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख तथा धारा 30 की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध के प्रस्तुत प्रकरण।</li> <li>अन्य विचारणीय ऐसे प्रकरण, जिनका उल्लेख कार्य विभाजन पत्रक में पृथक रो नहीं है।</li> <li>ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ग्राम न्यायालय भिण्ड व लहार में निराकृत प्रकरणों रो रांबधित अपीलें।</li> </ol>

#### व्यवहार प्रकरण :—

०१. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय की विविध सिविल अपील।

POLICE STATION ARE ATTACHED TO THE CLAIM TRIBUNAL	
BHIND	CITY KOTWALI DEHT KOTWALI BROHL MANILATHARIA PANU LUR RAVABACH A.I.K. ATER
	ATER PHOP BHUPRA

## 2. मोटरयान अधिनियम 1988 :-

तहसील भिण्ड व अटेर के अंतर्गत (आदेशक नियास करता हो अथवा घटना घटित हुई हो) घटित मोटर दृष्टिना में हुई मृत्यु के लिये प्रस्तुत कलेम प्रकरण व उद्भूत समस्त विविध कार्यवाहियां।

3. (अ) मू-अर्जन अधिनियम, 1894
- (ब) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में संबंधित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत तहसील भिण्ड से संबंधित समस्त आवेदन।
4. व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आवेदन—पत्र।
5. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, भिण्ड के आदेश के विरुद्ध अपीलें।
6. म.प्र.लोक परिसर (विद्युती) अधिनियम, 1974 के अधीन पारित आदेश की अपीलें।
7. म.प्र.नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत तहसील की समस्त चुनाव याचिकायें।
8. विविध सिविल बाद एवं प्रवर्तन आवेदन—पत्र जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।
9. विशिष्ट अनुशोध अधिनियम, 1963 की धारा 20-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुये राज्य शासन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से जिला भिण्ड के लिये अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित रायिदाओं के बारे में उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण करने के लिये विशेष न्यायालय घोषित किया गया है।
10. अन्य समस्त विशेष एवं स्थानीय अधिनियम, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सिविल प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हों।
11. कंपनी अधिनियम के तहत विचारणीय प्रकरण
12. प्रोवेट एवं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रकरण।
13. आदेश 21 नियम 08 सी.पी.सी. के तहत बाहर न्यायालय से आने वाले संग्रहा निष्पादन प्रकरण।
14. अन्य विधियों के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण, अपील व आवेदन पत्र जिनमें प्रधान जिला न्यायाधीश को मूल रूप से सुनवाई का विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

2 विशेष न्यायाधीश अधिसूचित अंतर्गत धारा 14 अ.जा. एवं जा. जा.  
(अत्याधार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, भिण्ड

संपूर्ण जिला भिण्ड

## आपराधिक

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याधार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण तथा ऐसे प्रकरणों से संबंधित सभी जमानत आवेदन पत्र। (विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम द्वारा विचारणीय मामलों को छोड़कर)
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याधार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा मध्यप्रदेश डकैती व व्यपहरण प्रमावित क्षेत्र अधिनियम, 1981(अधिनियम क्रमांक-36 सन्-1981) के अंतर्गत पंजीबद्ध दण्डनीय अपराधों के बारे में विशेष न्यायालय न0प्र0शासन विधि और विधायी कार्य विभाग गोपाल की अधिसूचना फ़ाक-1-7/81/21-ब (एक) गोपाल, क्रमांक-03 जनवरी 2019 द्वारा अधिसूचित मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।
3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण आवेदन—पत्र, जमानत आवेदन—पत्र एवं अन्य प्रकरण।
4. विविध न्यायिक प्रकरण (किमिगल) जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।

सिविल

5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मिण्ड द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले रिविल, विविध सिविल प्रकरण।

3 प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड

सत्र खण्ड, मिण्ड  
एवं  
सिविल जिला  
मिण्ड

- आपराधिक
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण। (मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा गड्ढ द्वारा संबंधित दिग्निन परीक्षाओं से संबंधित आपराधिक को छोड़कर)
  - मप्र० विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1982 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण घ उनसे उत्तरान अन्य कार्यवाहियां।
  - सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण आवेदन-पत्र, जमानत आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रकरण।
  - माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-डी/3379/तीन-८-४/८१ जबलपुर दिनांक ०९.०८.२०२३ द्वारा “मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम १९८१ (अधिनियम क्रमांक-३६ सन् १९८१) के अंतर्गत मिण्ड जिले की तहसील मिण्ड, रीन, मिहोना क्षेत्र के समस्त विशेष प्रकरण, एवं जमानत आवेदन पत्र तथा सम्बंधित विविध कार्यवाहियाँ।
  - मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-२००० के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले तहसील मिण्ड एवं अटेर से संबंधित समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र। (मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक १-३-२००४/४८२३/२०१९/२१-ब (एक), मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, २००० (क्रमांक-१८ सन् २००१) की धारा ०७ की उपधारा (१) तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक बी/५१९४/ १११-८-३/ २००३ जबलपुर, दिनांक १७.१०.२०१९)

मूल सिविल एवं विविध अपीले :-

6. तहसील मिण्ड, अटेर, से संबंधित मध्यस्थिता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले घाद, आवेदन पत्र एवं आदेश/अधिनियम से उद्भूत निष्पादन प्रकरण।

7. मप्र.नगरपालिका अधिनियम, 1981 की धारा २० के अंतर्गत प्रस्तुत तहसील अटेर की समस्त चुनाव याचिकायाँ।

8. तहसील मिण्ड व अटेर के अन्तर्गत घटित दुर्घटना में शरीर एवं सम्पत्ति को हुई क्षति से संबंधित क्लेम प्रकरण एवं उद्भूत समस्त कार्यवाही।

9. (अ) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड

(स) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश के द्वारा पारित डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत समस्त नियमित सिविल अपीले।

10. (अ) भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(ब) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

के अन्तर्गत तहसील अटेर से संबंधित समस्त आवेदन।

11. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल घाद व अपीलें।

12. विविध न्यायिक प्रकरण (रिविल व किमिनल) एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।

13. समस्त रिक्त जिला एवं अपर राज न्यायाधीश के न्यायालय से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द अन्य अपीलीय न्यायालय रो प्राप्त कार्यवाहियों व विविध कार्यवाहियां।

4 द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड

सत्र खण्ड, मिण्ड  
एवं  
सिविल जिला  
मिण्ड की  
तहसील मिण्ड,  
अटेर, महागढ़,  
गोरखी जिला

आपराधिक

- सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण आवेदन-पत्र, जमानत आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रकरण।
- विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना दिनांक ११.०३.२०१६ एवं रजिस्ट्री के पृष्ठांकन क्रमांक बी/१२९२ दिनांक २९.०३.२०१६ के अनुसार

मिण्ड का  
क्षेत्राधिकार

**मिण्ड, अटेर, मेहगांव एवं गोरमी तहसील क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन—पत्र एवं विविध कार्यवाहियाँ।**

मूल सिविल एवं विविध अपीले :-

3. (अ) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अंतिरिक्त न्यायाधीश एवं

(ब) पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड द्वारा पारित डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत समस्त नियमित सिविल अपीले।

(स) चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध समस्त नियमित अपील।

**4 तहसील मिण्ड/अटेर से संबंधित एक करोड रुपये से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद**

5. म०प्र० सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा ९ के अंतर्गत प्रस्तुत ५०१ रुपये से 1000 रुपये तक के लघुवाद प्रकरण।

6. म०प्र० पार्किंग ट्रस्ट एकट, 1961 की धारा 27 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकायें।

7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद व अपीलें।

8. विविध न्यायिक प्रकरण (सिविल व किमिनल) एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।

9. खाद्य सुरक्षा एवं गानक अधिनियम 2006 की धारा 70 के अंतर्गत अपील।

10. शोध क्षमता (इनसोलवेन्सी) अधिनियम के अन्तर्गत 10 लाख मूल्य से अधिक के प्रकरण।

11. प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अंतिरिक्त न्यायाधीश एवं समस्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा पारित आदेश व निर्णय से उद्भूत विविध सिविल प्रकरण, प्रवर्तन आवेदन व अन्य विविध कार्यवाहियाँ।

5 तृतीय जिला एवं अपर सत्र  
न्यायाधीश, मिण्ड  
(रिक्त न्यायालय)

सत्र खण्ड, मिण्ड<sup>एवं</sup>  
सिविल जिला  
मिण्ड की

रिक्त न्यायालय

6 चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र  
न्यायाधीश मिण्ड

सत्र खण्ड मिण्ड<sup>एवं</sup>  
सिविल जिला  
मिण्ड की  
तहसील मिण्ड,  
अटेर, रीन एवं  
मिहोना जिला  
मिण्ड का  
क्षेत्राधिकार

आपराधिक

1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीले, पुनरीक्षण आवेदन—पत्र, जमानत आवेदन—पत्र एवं अन्य प्रकरण।

2. एन०डी०पी०एस० एकट, 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जो कि विशेष न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है, उनसे संबंधित रिमाण्ड व जमानत आवेदन तथा उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक प्रकरण।

3. तहसील रीन एवं मिहोना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त थानों से उद्भूत मध्यप्रदेश निषेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम—2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र।

(मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-3-2004/4823/2019/21-ब (एक), मध्यप्रदेश निषेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक—16 सन् 2001) की धारा 07 की उपधारा (1) तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक बी/5194/ 111-6-3/ 2003 जबलपुर, दिनांक 17.10.2019)

4. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/2930/तीन-6-4/81 जबलपुर दिनांक 10.04.2024 द्वारा "मध्यप्रदेश डॉकेटी और व्यपहरण प्रमाणित क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत मिण्ड जिले की अटेर, गोरमी एवं मेहगांव क्षेत्र के समस्त विशेष प्रकरण, जमानत आवेदन एवं संबंधित विविध कार्यवाही।

5. धिधि एवं विधायी कार्यविभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 03.05.2016 के अनुसार राष्ट्रीय अनुवेषण अधिनियम 2008 की अनुसूची में विर्तिदिष्ट किसी या समस्त अधिनियमिताओं के अधीन अधिकरण द्वारा अन्वेषित अपराधों का विवारण (अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावशील)

POLICE STATION'S ARE  
ATTACHED TO THE CLAIM  
TRIBUNAL

Lahar Roun  
Mihona

सिविल

6. तहसील रैन एवं मिहोना से संबंधित रूपये एक करोड़ से अधिक वाद मूल्यांकन के समस्त व्यवहार वाद।
7. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड लहार के न्यायालय से तहसील रैन एवं मिहोना क्षेत्राधिकार से संबंधित नियमित एवं व्यवहार वाद अपील।
8. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय की नियमित सिविल अपील।
- 9. समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय की नियमित/विविध सिविल अपील।**
10. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तहसील रैन एवं मिहोना क्षेत्रान्तर्गत दुर्घटना में हुई मृत्यु एवं दुर्घटना में आई शारीरिक क्षति के संबंध में प्रस्तुत कलंग प्रकरण, निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहीयों।
11. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के पार्ट-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन को छोड़कर शेष सभी प्रकरण।
12. गार्जियन एवं वार्चस एक्ट, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
13. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल वाद व अपीलें।
14. विविध न्यायिक प्रकरण (सिविल व क्रिमिनल) एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।

7	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	सत्र खण्ड, भिण्ड <sup>एवं</sup> सिविल जिला भिण्ड की तहसील भिण्ड, अटेर जिला भिण्ड का क्षेत्राधिकार	<b>रिक्त न्यायालय</b>
8	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड (रिक्त न्यायालय)	सत्र खण्ड भिण्ड	<b>रिक्त न्यायालय</b>
9	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	सत्र खण्ड, भिण्ड	<b>आपराधिक</b>
			<p>1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत, जिले की तहसील भिण्ड/अटेर/रैन/मिहोना क्षेत्र के अपराधों में प्रस्तुत अधियोग पत्र एवं परियाव पत्र से संबंधित प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न एगोजोसी० व जमानत आदेश पत्र।</p> <p>2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याधार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे मामले जिनमें पॉक्सों एक्ट, 2012 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है, तथा ऐसे प्रकरणों से संबंधित सभी जमानत आदेश पत्र।</p> <p>3. विविध न्यायिक प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदन जो, इसी न्यायालय (अनन्य विशेष न्यायालय पॉक्सों) द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।</p> <p>4. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण आदेश—पत्र, जमानत आदेश पत्र एवं अन्य प्रकरण।</p> <p>5. तहसील भिण्ड/अटेर/रैन/मिहोना क्षेत्र से संबंधित बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सहित बलात्कार व अन्य संबंधित महिलाओं के विरुद्ध अपराध से उद्भूत सत्र प्रकरण।</p> <p>6. विविध न्यायिक प्रकरण (क्रिमिनल) जो इसी न्यायालय द्वारा परित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।</p>
			<b>सिविल</b>
			<p>7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल वाद व अपीलें।</p>

### व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड मुख्यालय भिण्ड

10	<p><b>प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड</b></p>	<p>राजस्व तहसील भिण्ड एवं अटेर</p>	<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये सिविल एवं आपराधिक तथा विविध प्रकरण । 2. तहसील भिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न पौंच लाख एक से एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद।</p> <p><b>दायरा अवधि केवल</b> (माह 15 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 की अवधि तक)</p> <p>3. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 एवं 172 के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपीलें । 4. म०प्र०० सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 500 रुपये तक के मूल्यांकन के तहसील भिण्ड व अटेर लघुवाद प्रकरण। 5. तहसील भिण्ड व अटेर क्षेत्र के दिवालिया अधिनियम के दस लाख रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 6. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय व सगरता रिका व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो तथा उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर प्राप्त कार्यवाहियां व विविध कार्यवाहियां। 7. तहसील भिण्ड व अटेर क्षेत्र के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के मांग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 8. उक्त न्यायालय से निराकृत सिविल वाद एवं विविध सिविल वाद से उत्पन्न प्रवर्तन आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियाँ।</p>
11	<p><b>द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जनपद भिण्ड</b></p>	<p>राजस्व तहसील व जनपद भिण्ड एवं अटेर</p>	<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये सिविल एवं आपराधिक तथा विविध प्रकरण । 2. तहसील भिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न पौंच लाख एक से एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद।</p> <p><b>दायरा अवधि केवल</b> (माह 01 जुलाई 2024 से 30 सितम्बर 2024 की अवधि तक)</p> <p>3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो। 4. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 भिण्ड क्षेत्राधिकार से संबंधित सगरता रिका एवं आपराधिक प्रकरण। 5. ग्राम न्यायालय से निराकृत सिविल वाद एवं विविध सिविल वाद से उत्पन्न प्रवर्तन आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियाँ।</p>
12	<p><b>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड</b></p>	<p>राजस्व तहसील भिण्ड एवं अटेर जिला भिण्ड</p>	<p>1. तहसील भिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न पौंच लाख एक से एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद।</p> <p><b>दायरा अवधि केवल</b> (माह 01 अक्टूबर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 की अवधि तक)</p> <p>2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त रिका वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र। 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।</p>
13	<p><b>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड</b></p>	<p>राजस्व तहसील अटेर जिला भिण्ड</p>	<p>1. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के मेमो क्रमांक-डी/2387/तीन-८-५/७२ जबलपुर दिनांक-०१.०४.२०१९ में संशोधन करते हुये प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भिण्ड साझिराधित प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भिण्ड सप्ताह में प्रतिदिन किशोर न्याय बोर्ड को संचालित करेगा। (अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील)</p>
14	<p><b>प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड</b></p>	<p>तहसील भिण्ड व अटेर</p>	<p>1. तहसील भिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न एक रुपये से लेकर पौंच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के समस्त रिका वाद।</p> <p><b>दायरा अवधि केवल</b> (माह 15 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 की अवधि तक)</p> <p>2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र। 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय व सगरता</p>

15	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
16	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
17	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	तहसील मिण्ड व अटेर	<p>1. तहसील मिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न एक रूपये से लेकर पाँच लाख रुपये तक के गूल्यांकन के सामर्त्य सिविल बाद विविध सिविल बाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र।</p> <p>(माह 01 नवम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 की अवधि तक)</p> <p>2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सागर सिविल बाद, विविध सिविल बाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र।</p> <p>3. विविध सिविल बाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।</p>
18	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	तहसील मिण्ड व अटेर	<p>1. तहसील मिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न एक रूपये से लेकर पाँच लाख रुपये तक के गूल्यांकन के समस्त सिविल बाद।</p> <p>दायरा अवधि केवल</p> <p>(माह 01 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 की अवधि तक)</p> <p>2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल बाद, विविध सिविल बाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र।</p> <p>3. विविध सिविल बाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।</p>
19	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अंतिरिक्त न्यायाधीश मिण्ड	तहसील मिण्ड व अटेर	<p>1. तहसील मिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न एक रूपये से लेकर पाँच लाख रुपये तक के गूल्यांकन के सामर्त्य सिविल बाद।</p> <p>दायरा अवधि केवल</p> <p>(माह 01 सितम्बर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 की अवधि तक)</p> <p>2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल बाद, विविध सिविल बाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र।</p> <p>3. विविध सिविल बाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।</p>
20	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के तृतीय अंतिरिक्त न्यायाधीश (द्वितीय जज) मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
21	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के चतुर्थ अंतिरिक्त न्यायाधीश (द्वितीय जज) मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
22	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के पंचम अंतिरिक्त न्यायाधीश (द्वितीय जज) मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
23	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के षष्ठम अंतिरिक्त न्यायाधीश (द्वितीय जज) मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
24	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के सप्तम अंतिरिक्त न्यायाधीश (द्वितीय जज) मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय
25	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के अष्टम अंतिरिक्त न्यायाधीश (द्वितीय जज) मिण्ड	तहसील मिण्ड/अटेर	रिक्त न्यायालय

26 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ  
खण्ड भिण्ड के न्यायालय के नवमं  
अतिरिक्त न्यायाधीश (द्वितीय जज)  
भिण्ड

तहसील  
भिण्ड/अटेर

रिक्त न्यायालय

### अनुसूची

सारणी की कंडिका 2 में दर्शाये गये न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहने की स्थिति अथवा उनका पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय के अतिआवश्यक सिविल एंव आपराधिक प्रकरणों का निपटारा सारणी की कंडिका 3 में दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा :—

### सारणी

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	2	3	4	5
1	प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड	दिशेष न्यायाधीश भिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
2	विशेष न्यायाधीश (अपर सत्र न्यायाधीश) भिण्ड	वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	द्वितीय वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	तृतीय वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
3	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
4	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
5	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
6	विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
7	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
8	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
9	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड।
11	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भिण्ड।



		अतिं न्यायाधीश मिण्ड(प्रशिक्षु न्यायाधीश)		
25	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के अष्टम अतिं न्यायाधीश मिण्ड(प्रशिक्षु न्यायाधीश)	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
26	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड के न्यायालय के नवमं अतिं न्यायाधीश मिण्ड(प्रशिक्षु न्यायाधीश)	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायाल

**टिप्पणी :-**

1. जिले में जो न्यायालय पूर्व में कार्यस्त होकर वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं उनके द्वारा पारित आपराधिक प्रकरणों एवं सिविल वादों में पारित निर्णय, छिकी या आदेश तथा मोटर दुर्घटना दावों में पारित अधिनिर्णय के संबंध में प्रस्तुत प्रवर्तन गामले एवं उनमें माननीय रार्बोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय या अन्य किसी अपीलीय न्यायालय से कोई आदेश निर्णय या निर्देश प्राप्त होते हैं तो उसका पालन उनके नाम के समुख दर्शाये भये न्यायालय एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रभारी न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

**रिक्त न्यायालय का नाम****न्यायालय का नाम**

क्र	रिक्त न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
1	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश(द्विनी जज) मिण्ड, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मिण्ड, षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट्रेक न्यायालय) मिण्ड, सातम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोहप रथान मिण्ड (फास्ट्रेक न्यायालय) एवं षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मिण्ड के आदेश एवं निर्णय से उद्भूत समरत आपराधिक एवं साम्पत्तिक प्रकरण।	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गोहप रथान मिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र रात्र न्यायाधीश, मिण्ड (म०प्र०)
नोट— वर्तमान में लागू कार्य विभाजन पत्रक 2024 से आगामी नवीन कार्य विभाजन पत्रक बनने तक यदि मुख्यालय पर कोई जिला एवं अपर सत्र न्यायालय रिक्त हो जाता है तो उसका प्रभार कॉलम को 1 अनुसार ही रहेगा।			
2	मिण्ड मुख्यालय में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मिण्ड	
3	मिण्ड मुख्यालय में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मिण्ड	

2. विशेष न्यायालय (एट्रोरिटीज) के रिक्त होने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक सी/2264/तीन-6-3/90 जबलपुर दिनांक 14.09.2020 के पालन में मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वारा किया जावेगा एवं मुख्यालय पर यदि कोई भी वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो उनका प्रभार सत्र खण्ड में पदस्थ वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पर रहेगा एवं सत्र खण्ड पर भी कोई भी

वरिष्ठतम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपस्थित न हो तो उनका प्रभार मुख्यालय में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड पर रहेगा।

3. विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.) भिण्ड के रिक्त होने की स्थिति में एन.डी.पी.एस. एकट, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक री/2262/तीन-८-३/८९ जबलपुर दिनांक 14.09.2020 के पालन में मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पर रहेगा तथा मुख्यालय पर यदि कोई भी वरिष्ठतम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो उनका प्रभार सत्र खण्ड में पदस्थ वरिष्ठतम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पर रहेगा।

4. जिला स्थापना भिण्ड में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के पश्चात भिण्ड मुख्यालय पर जो भी विशेष न्यायालय (पॉक्सों) संचालित रही थी। उक्त सभी पॉक्सों न्यायालय से संबंधित यदि कोई भी आवश्यक कार्यवाही प्राप्त होती है, तो वर्तमान में संचालित विशेष न्यायालय (पॉक्सों) द्वारा की जायेगी।

5. **मध्यप्रदेश डकैती व व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981** से संबंधित प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में निम्नानुसार रहेगा।

श्री दिनेश कुमार खटीक, विशेष न्यायाधीश श्री अहमद रजा, विशेष न्यायाधीश द्वितीय जिला एवं अपर डकैती क्षेत्र क्रमांक-1 भिण्ड	सत्रम् जिला एवं अपर डकैती क्षेत्र क्रमांक-2 भिण्ड	सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
श्री अहमद रजा, विशेष न्यायाधीश डकैती श्री दिनेश कुमार खटीक विशेष सप्तम् जिला एवं अपर न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्रमांक-1 सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	न्यायाधीश डकैती क्षेत्र क्रमांक-2 सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	सत्र न्यायाधीश, भिण्ड

6. विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जगतान आवेदन पत्रों एवं अतिआवश्यक कार्यों की सुनावाई निम्नानुसार रहेगी।

सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सों) भिण्ड	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
---	--	---	---

7. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में नियमानुसार रहेगा—

1. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत भिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र रात्र न्यायाधीश भिण्ड	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
---	---	--	---

नोट:- विशेष न्यायाधीश (एड्रोसिट्स) भिण्ड एवं रात्र न्यायाधीश में सिविल कार्य शेष नहीं रहा, परन्तु सुविधा की दृष्टि से इन न्यायालय में एम.ए.सी.सी. केरेरा रो संबंधित ललेम केस के भुगतान की कार्यवाही इन्हीं न्यायालयों द्वारा की जायेगी।

यह कार्य विभाजन पत्रक न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।

नोट :- यह कार्य विभाजन पत्रक 2024 दिनांक 15 अप्रैल 2024 से प्रभावशील होगा।

(राजीव कुमार अयाची)  
प्रधान निला एवं सत्र न्यायाधीश,  
भिण्ड (म०प्र०)

## तहसील गोहद

क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
1	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड	सत्र खण्ड गोहद	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक</b></p> <p>1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, पुनरीक्षण याचिका, जनानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण।</p> <p>2. तहसील गोहद क्षेत्र से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समरत आपराधिक प्रकरण, परिवाद-पत्र तथा जमानत आवेदन-पत्र। तहसील गोहद क्षेत्र से ही संबंधित बलात्कार, सामूहिक बलात्कार एवं हत्या सहित बलात्कार के आपराधिक प्रकरण तथा केवल गहिलाओं के विरुद्ध कारित किये जा सकने वाले अपराधों से संबंधित अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियों।</p> <p>3. तहसील गोहद से उत्पन्न मारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>4. आरक्षी केन्द्र गोहद, मालनपुर एवं गोहद चौराहा, मौ एवं एण्डोरी से उद्भूत मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र। (मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-3-2004/4823/2019/21-ब (एक), मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक-16 सन् 2001) की धारा 07 की उपधारा (1) तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक बी/5194 / ॥१-६-३ / 2003 जबलपुर, दिनांक 17.10.2019)</p> <p>5. आरक्षी केन्द्र गोहद, गोहद चौराहा एवं मौ से उत्पन्न अपराधों से संबंधित जमानत आवेदन, उपार्जित सत्र प्रकरण, निर्णय व आदेशों से उत्पन्न अपीलों तथा आपराधिक पुनरीक्षण।</p>
तहसील गोहद व मौ			
POLICE STATION ARE ATTACHED TO THE CLAIM TRIBUNAL			
GOHAD			
GOHAD CHAURAH			
MALANPUR			
MOU			
ANDORI			
→			
सिविल			
6. एक करोड़ एक रुपये से तीन करोड़ रुपये तक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद।			
7. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दुर्घटना से हुई मृत्यु के संबंध में प्रस्तुत कलम प्रकरण, निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहीयों			
8. न्याय, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड के न्यायालयों के आदेश एवं डिकी के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित सिविल अपील एवं विविध सिविल अपीलें।			
9. म०प्र० सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 501 रुपये से 1000 रुपये तक के लघुवाद प्रकरण।			
10. मारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के पार्ट-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष रामी प्रकरण।			
11. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत दस लाख रुपये से अधिक के प्रकरण।			
12. गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट्स, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।			
13. किशोर न्याय(बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम), 2000 की धारा-58 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले दलतक ग्रहण से संबंधित समस्त आवेदन पत्र।			
14. (अ) मू-अर्जन अधिनियम, 1894			
(ब) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासनस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013			
के अन्तर्गत तहसील गोहद से संबंधित रामस्त आवेदन।			
15. विशेष एवं स्थानीय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वे समस्त सिविल प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं।			
16. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल वाद, अपील व प्रवर्तन आवेदन।			

2	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद, जिला भिषण	सत्र खण्ड गोहद तहसील गोहद	रिक्त न्यायालय												
3	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिषण	सत्र खण्ड गोहद	<p><b>आपराधिक</b></p> <p>1. सत्र न्यायाधीश हारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीकाण याचिका, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण।</p> <p>2. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/2830/तीन-6-4/81 जबलपुर दिनांक 10.04.2024 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राजरव जिला भिषण की तहसील गोहद क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक प्रकरण, परियाद पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य विविध आपराधिक कार्यवाहियाँ।</p> <p>3. आख्छी केंद्र आख्छी केंद्र एप्डोरी एवं मालनपुर से उत्पन्न अपराधों से संबंधित जमानत आवेदन, उपर्युक्त सत्र प्रकरण, निर्णय व आदेशों से उत्पन्न अपीलें तथा आपराधिक पुनरीकाण।</p>												
		तहसील गोहद व मी	<b>सिविल</b>												
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">POLICE STATION'S ARE ATTACHED TO THE CIVIL TRIBUNAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GOHAD</td> </tr> <tr> <td>GOHAD</td> <td>GOHAD CHAURAHA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MALANPUR →</td> </tr> <tr> <td>MOU</td> <td>MOU</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANDORI</td> </tr> </table>	POLICE STATION'S ARE ATTACHED TO THE CIVIL TRIBUNAL			GOHAD	GOHAD	GOHAD CHAURAHA		MALANPUR →	MOU	MOU		ANDORI		<p>4. तीन करोड़ से अधिक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद।</p> <p>5. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, गोहद जिला भिषण के न्यायालयों के आदेश एवं डिक्टी के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित सिविल अपील एवं विविध सिविल अपीलें।</p> <p>6. समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के आदेश और डिक्टी के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित सिविल अपील और विविध सिविल अपीलें।</p> <p>7. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दुर्घटना रो हुई शारीरिक क्षति के संबंध में प्रस्तुत कलेम प्रकरण, निभादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहीयाँ।</p> <p>8. भूमि अर्जन एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापना अधिनियम, 2013 की धारा 18, 30 एवं 31 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>9. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अपीलें।</p> <p>10. म.प्र. लोक परिसर (बिदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन पारित आदेशों की अपीलें।</p> <p>11. म.प्र. विनिर्दिष्ट ग्रष्ट आचरण अधिनियम, 1982 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियाँ।</p> <p>12. म.प्र. पद्धिक द्रस्ट एकट, 1957 की धारा 27 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली धाइकायें।</p> <p>13. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें।</p> <p>14. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद एवं आवेदन पत्र।</p> <p>15. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 हिन्दू दत्तक एवं भरण-पौषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>16. विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय एवं रिक्त समस्त जिला व अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के न्यायालय हारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न होने व उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर कार्यवाही व विविध कार्यवाही एवं उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर कार्यवाही एवं विविध कार्यवाही।</p> <p>17. जिला न्यायाधीश हारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले रिविल वाद, अपील व प्रवर्तन आवेदन।</p>
POLICE STATION'S ARE ATTACHED TO THE CIVIL TRIBUNAL															
	GOHAD														
GOHAD	GOHAD CHAURAHA														
	MALANPUR →														
MOU	MOU														
	ANDORI														
4	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद	तहसील गोहद व मी	<p>1. जिला न्यायाधीश हारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र।</p> <p>2. पाँच लाख एक रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के लघुपाद प्रकरण।</p> <p>3. म.प्र. सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 500 रुपये तक के मूल्यांकन के लघुपाद प्रकरण।</p> <p>4. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 एवं 172 के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपीलें।</p>												

			5. दिवालिया अधिनियम, के दस लाख रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण । 6. भारतीय सत्ताधिकार अधिनियम, 1925 भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र । 7. रुपये दस लाख तक के ऐसे प्रवर्तन प्रमाण पत्र जो बाहर के न्यायालय से प्राप्त हों । 8. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों । 9. ताहसील न्यायालय गोहद के रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित विविध सिविल वाद, प्रवर्तन प्रकरण तथा उनसे संबंधित अपील न्यायालय से प्राप्त आदेशों पर कार्यवाही/विविध कार्यवाही आवश्यक कार्यों का निराकरण ।
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	तहसील गोहद एवं गोहद	1. तहसील न्यायालय गोहद क्षेत्र के एक रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के रिविल वाद एवं आवेदन । 2. जिला न्यायाधीश द्वारा रुग्य रामय पर अंतरित किये जाने वाले समर्त सिविल वाद । 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों । 4. तहसील न्यायालय गोहद के रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के न्यायालय के विविध सिविल वाद, प्रवर्तन प्रकरण तथा उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर कार्यवाहिया/विविध कार्यवाहियाँ ।
6	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद रिक्त न्यायालय	तहसील गोहद	रिक्त न्यायालय
7	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद रिक्त न्यायालय	तहसील गोहद	रिक्त न्यायालय
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद रिक्त न्यायालय	तहसील गोहद	रिक्त न्यायालय
9	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद रिक्त न्यायालय	तहसील गोहद	रिक्त न्यायालय
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद रिक्त न्यायालय	तहसील गोहद	रिक्त न्यायालय
11	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	तहसील गोहद	रिक्त न्यायालय

### अनुसूची

सारणी की कंडिका 2 में दर्शाये गये न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से उनके कर्त्तव्य पर उपरिथित नहीं रहने अथवा उनका पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय के अतिआवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का निपटारा सारणी की कंडिका 3 में दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा :—

## सारणी

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गोहगांव	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
2	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मेहगांव	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
3	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के अति. न्यायाधीश गोहद रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
4	व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ खण्ड गोहद	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्याया, गोहद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मेहगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भिण्ड
5	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, गोहद	व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ खण्ड गोहद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मेहगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भिण्ड
6	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
7	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के अति. न्यायाधीश	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय

मध्यप्रदेश डकैती व व्यपहरण प्रमावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 से संबंधित प्ररतुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की रिति में निम्नानुसार रहेगा।

श्री अफजल खौन, विशेष न्यायाधीश डकैती गोहद	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गोहद	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गोहगांव	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
---	--	--------------------------------------	---

विशेष न्यायाधीश लैगिंग अपराधों से बालकों के संखण अधिनियम, 2012 के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण रो उनके कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की रिति में उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्ररतुत होने वाले जमानत आदेदन पत्रों एवं अतिआवश्यक कार्यों की सुनवाई निम्नानुसार रहेगी।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश गोहद	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मेहगांव	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
---	---	--------------------------------------	--

भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्ररतुत होने वाले प्रकरणों का अतिआवश्यक कार्य विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की रिति में निम्नानुसार रहेगा।

विशेष न्यायाधीश (अपर सत्र न्यायाधीश) गोहद	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मेहगांव	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड
---	---	--------------------------------------	---

तहसील न्यायालय गोहद में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय	व्यवहार न्यायाधीश दरिष्ठ खण्ड गोहद
---	------------------------------------

तहसील न्यायालय गोहद में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, गोहद
---	---

नोट :— कार्य विभाजन पत्रक 2024 दिनांक 15 अप्रैल 2024 से प्रभावशील होगा।

(राजीव कुमार अयाची)  
प्रधान जिला एवं रात्र न्यायाधीश,  
भिण्ड (म0प्र0)

## तहसील लहार

क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
1	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड	सत्र खण्ड लहार (रैन एवं मिहोना को छोड़कर)	<p style="text-align: center;"><u>आपराधिक</u></p> <p>1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण धारिका, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण ।</p> <p>2. तहसील लहार क्षेत्र से संबंधित लैंगिक अपराधों से वालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समरत आपराधिक प्रकरण, परियाद-पत्र तथा जमानत आवेदन-पत्र । तहसील लहार क्षेत्र से ही संबंधित बलात्कार, सामूहिक बलात्कार एवं हत्या सहित बलात्कार के आपराधिक प्रकरण तथा केवल नहिलाओं के विरुद्ध कारिता किये जा सकने वाले अपराधों से संबंधित अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं अन्य कार्यवाहियाँ ।</p> <p>3. तहसील लहार के क्षेत्राधिकार में आरक्षी केंद्र लहार, रावतपुरा, असवार, दबोह व आलमपुर से उत्पन्न होने वाले उपार्पित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन ।</p> <p>4. म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक— ए/4055/तीन-८-४/८१ जबलपुर दिनांक 18.07.2023 के अनुसार म0प्र0 छक्की और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के अंतर्गत रायरव जिला भिण्ड की तहसील न्यायालय लहार क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक प्रकरण, परियाद पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ ।</p> <p>5. रजिस्ट्री जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक—ए/4053/ तीन-८-४/२००३ जबलपुर दिनांक 18.07.2023 एवं विधि एवं विधायी कार्यविभाग भोपाल की अधिसूचना एफ क्रमांक—१७(ई) ८३/३/इक्कीस-ब(एक) दिनांक—१८.०९.२०१० के अनुसार तहसील लहार, रौन, मिहोना से उत्पन्न मारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण, जगानत आवेदन एवं विविध कार्यवाहियाँ ।</p> <p>6. तहसील न्यायालय लहार क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त थानों (रैन एवं मिहोना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त थानों को छोड़कर) से उद्भूत मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम—2000 के उत्तरांतर प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र । (मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-3-2004/4823/2019/21-ब (एक), मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक—१६ सन् 2001) की धारा ०७ की उपधारा (१) तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक बी/५१९४/ १११-६-३ / २००३ जबलपुर, दिनांक 17.10.2019)</p>
तहसील लहार, (रैन एवं मिहोना को छोड़कर)			
सिविल			
<p>7. एक करोड़ से अधिक रुपये तक मूल्यांकन के तहसील लहार क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त सिविल वाद ।</p> <p>8. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तहसील लहार क्षेत्रान्तर्गत दुष्टिना से हुई शारीरिक शक्ति एवं मरुत्यु के संबंध में प्रस्तुत क्लेम प्रकरण, निष्पादन प्रकरण तथा विधिकारीयों (तहसील मिहोना एवं रौन को छोड़कर)</p> <p>9. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ ।</p> <p>10. म0प्र0 सिविल न्यायालय अधिनियम, 1968 की धारा ९ के अंतर्गत प्रस्तुत ५०१ रुपये से १००० रुपये तक के लघुवाद प्रकरण ।</p> <p>11. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अपीलें ।</p> <p>12. म.प्र. लौक परिसर (विद्युती) अधिनियम, 1974 के अधीन पारित आदेशों की अपीलें ।</p> <p>13. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के पार्ट—१० के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण ।</p> <p>14. म.प्र.नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा २० के अंतर्गत प्रस्तुत</p>			
POLICE STATION S ARE ATTACHED TO THE CLAIM TRIBUNAL			
LAHAR			
DAHOH			
LAHAR RAJTPURA			
ASWAR			
AJAMPUR			

		<p>चुनाव याचिकाएँ ।</p> <p>15. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद एवं आवेदन पत्र ।</p> <p>16. किशोर न्याय(बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम), 2000 की धारा-58 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दलक ग्रहण से संबंधित रामरता आवेदन पत्र ।</p> <p>17. सनस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कानूनी लहार जिला भिंड के न्यायालय से पारित आदेश एवं जयपत्र के विरुद्ध तहसील लहार, (तहसील मिहोना एवं रौन को छोड़कर) क्षेत्र के व्यवहार वादों से उत्पन्न नियमित रिविल अपील एवं विविध सिविल अपीलें ।</p> <p>18. (अ) भू-अर्जन अधिनियम, 1894</p> <p>(ब) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013</p> <p>के अन्तर्गत तहसील न्यायालय लहार, क्षेत्र से संबंधित समरता आवेदन ।</p> <p>19. विशेष एवं स्थानीय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वे समरता सिविल प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गये हैं ।</p> <p>20. म.प्र.पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 27 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकाएँ ।</p> <p>21. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत दस लाख रुपये से अधिक के प्रकरण ।</p> <p>22. गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट्स, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।</p> <p>23. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो ।</p> <p>24. रिक्त समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायालय लहार के न्यायालय के विविध सिविल वाद, प्रवर्तन प्रकरण ।</p> <p>25. स्वयं के न्यायालय व रिक्त जिला न्यायालय लहार के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय से संबंधित अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेश पर कार्यवाहिया व विविध कार्यवाहियाँ ।</p> <p>26. रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, लहार के निर्णय से उत्पन्न नियमित/विविध सिविल अपील (रौन व मिहोना क्षेत्र को छोड़कर)</p>
2	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लहार के अतिरिक्त न्यायाधीश लहार, जिला भिंड रिक्त न्यायालय	<p>सत्र खण्ड, भिंड (रौन एवं मिहोना को छोड़कर)</p> <p>तहसील न्यायालय लहार</p>
3	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जनपद लहार	<p>तहसील लहार, रौन व मिहोना</p> <p>1. तहसील न्यायालय लहार क्षेत्र के पॉच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के रिविल वाद एवं आवेदन। <b>दायरा अवधि केवल (माह 01 सितम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 की अवधि तक)</b> 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सनस्त रिविल वाद। 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों। 4. ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 के लहार क्षेत्राधिकार से संबंधित सिविल व आपराधिक प्रकरण। 5. ग्राम न्यायालय लहार द्वारा निराकृत सिविल वाद से उत्पन्न विविध सिविल वाद, निष्पादन व अन्य कार्यवाहियाँ।</p>
4	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	<p>तहसील लहार रौन, मिहोना</p> <p>1. तहसील न्यायालय लहार क्षेत्र के पॉच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन। <b>दायरा अवधि केवल (माह 01 नई 2024 से 31 अगस्त 2024 की अवधि तक)</b> 2. म.प्र.पब्लिक न्यायालय अधिनियम, 1968 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 500 रुपये तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण।</p>

			3. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 एवं 172 के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपीलें ।
			4. दिवालिया अधिनियम, के दस लाख रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण ।
			5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र ।
			6. रुपये दस लाख तक के ऐसे प्रवर्तन प्रभाग पत्र जो बाहर के न्यायालय से प्राप्त हों ।
			7. जिला न्यायाधीश द्वारा रामय समय पर अंतरित किये गये प्रकरण ।
			8. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों ।
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	तहसील लहार,गिरोना,रीन	रिक्त न्यायालय
6	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	तहसील लहार,गिरोना,रीन	रिक्त न्यायालय
7	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	तहसील लहार,गिरोना,रीन	1. तहसील न्यायालय लहार क्षेत्र के एक रुपये से लेकर पाँच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन । <b>दायरा अवधि केवल</b> (माह 01 सितम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 की अवधि तक)
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश लहार	तहसील लहार, गिरोना, रीन	2. जिला न्यायाधीश द्वारा सनय सनय पर अंतरित किये जाने वाले रामरत सिविल वाद । 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों । 1. तहसील न्यायालय लहार क्षेत्र के एक रुपये से लेकर पाँच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन । <b>दायरा अवधि केवल</b> (माह 15 अप्रैल 2024 से 31 अगस्त 2024 की अवधि तक)

### अनुसूची

सारणी की कंडिका 2 में दर्शाये गये न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य पर उपरिथित नहीं रहने अथवा उनका पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय के अतिआवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का निपटारा सारणी की कंडिका 3 में दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा :—

सारणी

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लहार	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर रात्र न्यायाधीश, भिण्ड	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
2	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लहार के अतिरिक्त न्यायाधीश, लहार	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
3	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, लहार
4	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, लहार
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लहार	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
6	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, लहार	द्वितीय व्यवहार कनिष्ठ खण्ड लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, लहार
7	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, लहार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, लहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार
तहसील न्यायालय लहार में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लहार		
तहसील न्यायालय लहार में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय		प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, लहार		

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लहार विशेष न्यायालय, विद्युत अधिनियम, 2003

विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

विशेष न्यायालय म.प्र. डकौती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981

नोट :— कार्य विभाजन पत्रक 2024 दिनांक 15 अप्रैल 2024 से प्रभावशील होगा।

राजग् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड प्रथम जिला एवं अपर रात्र न्यायाधीश भिण्ड चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड

(राजीव कुमार अयाची)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
भिण्ड (म0प्र0)

## तहसील मेहगांव

क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	सहिता/प्रकरण/आवेदन
1	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव	सत्र खण्ड, तहसील गैंडगांव	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक</b></p> <p>1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिका, जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण।</p> <p>2. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद—पत्र तथा जमानत आवेदन—पत्र। तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र से ही संबंधित बलात्कार, सागृहिक बलात्कार एवं हत्या सहित बलात्कार के आपराधिक प्रकरण तथा केवल महिलाओं के विरुद्ध कारित किये जा सकने वाले अपराधों से संबंधित अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>3. तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त थानों से उद्भूत मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम—2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र। (मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भौपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-3-2004/4823/2019/21-व (एक), मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक—16 सन् 2001) की धारा 07 की उपधारा (1) तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक बी/5194/ ।।।—६—३/ 2003 जबलपुर, दिनांक 17.10. 2019)</p> <p>4. तहसील मेहगांव व गोरमी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले उपर्युक्त सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदन।</p>
	तहसील मेहगांव व गोरमी जिला मिण्ड		<p style="text-align: center;"><b>सिविल</b></p> <p>5. एक करोड़ एक रुपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद।</p> <p>6. मोटरयान अधिनियम, 1939 तथा 1988 के अंतर्गत तहसील मेहगांव गोरमी के साथी आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत बाहन दुर्घटना से उत्पन्न जभी गोटरदुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>7. म.प्र.0 सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत 501 रुपये से 1000 रुपये तक के लघुवाद प्रकरण।</p> <p>8. माफ़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेश की अपीलें।</p> <p>9. म.प्र. लोक परिसर (बिद्धली) अधिनियम, 1974 के अधीन पारित आदेशों की अपीलें।</p> <p>10. म.प्र.विनिर्दिष्ट ब्रष्ट आचरण अधिनियम, 1982 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियाँ।</p> <p>11. म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 27 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकायें।</p> <p>12. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के पार्ट—10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष राष्ट्री प्रकरण।</p> <p>13. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत दस लाख रुपये से अधिक के प्रकरण।</p> <p>14. गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट्स, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>15. म.प्र.नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत बुनाव याचिकायें।</p> <p>16. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वाद एवं आवेदन पत्र।</p> <p>17. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 हिन्दू दत्तक एवं भरण—पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ।</p> <p>18. किशोर न्याय(बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम), 2000 की धारा—58 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले दत्तक ग्रहण से संबंधित समस्त आवेदन पत्र।</p> <p>19. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड व समस्त रिक्त न्यायालय कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के न्यायालय से पारित आदेश एवं जयपत्र के विरुद्ध तहसील मेहगांव व गोरमी क्षेत्र के व्यवहार दावों से उत्पन्न नियमित सिविल अपील।</p>
	प्राइवेट न्यायालय कार्यालय TRIBUNAL	MEHGON	
		ANWAN	
		SHAROJ	
		BARSOC	
		GORN	

2	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	तहसील मेहगांव, गोरमी	एवं विविध सिविल अधीले।
3	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	तहसील मेहगांव, गोरमी	20. (अ) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (ब) मुग्मि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत तहसील मेहगांव एवं गौरगी क्षेत्र से संबंधित समस्त आवेदन।
4	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मेहगांव	तहसील मेहगांव	21. विशेष एवं स्थानीय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वे समस्त सिविल प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाई गये हैं।
5	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	तहसील मेहगांव व गोरमी	22. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।
6	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश मेहगांव	तहसील मेहगांव व गोरमी	<b>रिक्त न्यायालय</b> 1. तहसील मेहगांव व गौरगी क्षेत्र के स्पष्टे पाँच लाख एक से एक करोड़ रुपये तक मूल्यांकन के समर्त रिविल वाद एवं आवेदन पत्र। 2. तहसील मेहगांव व गौरगी क्षेत्र के मात्रा सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की घारा 9 के अन्तर्गत प्रस्तुत 500 रुपये तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण। 3. तहसील मेहगांव व गौरगी क्षेत्र के नगर पालिका अधिनियम 1961 की घारा 139 एवं 172 के अधीन प्रस्तुत होने वाली अधीले। 4. तहसील मेहगांव व गौरगी क्षेत्र के दिवालिया अधिनियम के दस लाख रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 5. तहसील मेहगांव व गौरगी क्षेत्र के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 नाम—10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। 6. तहसील मेहगांव व गौरगी क्षेत्र के रुपये दस लाख तक के ऐसे प्रवर्तन प्रमाण पत्र जो बाहर के न्यायालय से प्राप्त हों। 7. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये प्रकरण। 8. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों। 9. तहसील न्यायालय मेहगांव में रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित विधि सिविल वाद, प्रवर्तन प्रकरण तथा उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर की जाने वाली कार्यवाहियां/विधि कार्यवाहियां।
7	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश मेहगांव	तहसील मेहगांव व गोरमी	<b>रिक्त न्यायालय</b> 1. तहसील मेहगांव एवं गौरगी क्षेत्र के एक रूपये से लेकर पाँच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन। <b>दायरा अवधि केवल</b> (माह 01 सितम्बर 2024 से दिसम्बर 2024 की अवधि तक) 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले रामरत सिविल वाद। 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय व समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों एवं उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर की जाने वाली कार्यवाहियां व विविध कार्यवाहियां।
8	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश मेहगांव	तहसील मेहगांव व गोरमी	1. तहसील मेहगांव एवं गौरगी क्षेत्र के एक रूपये से लेकर पाँच लाख रुपये तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन। <b>दायरा अवधि केवल</b> (माह 15 अप्रैल 2024 से 31 अगस्त 2024 की अवधि तक) 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले रामरत सिविल वाद। 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों।

**अनुसूची**

सारणी की कंडिका 2 में दर्शाये गये न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से उनके कल्पन्य पर उपरिथत नहीं रहने अथवा उनका पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय के अतिआवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का निपटारा सारणी की कंडिका 3 में दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा :-


**सारणी**

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
2	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के अतिः न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड
3	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मेहगांव	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय	रिक्त न्यायालय
4	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के अतिः न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मेहगांव	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भिण्ड
5	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव के अतिः न्यायाधीश मेहगांव	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मेहगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड
तहसील न्यायालय मेहगांव में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय		द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव		
तहसील न्यायालय मेहगांव में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय		व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गेहगांव के अतिरिक्त न्यायाधीश		
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं (विशेष न्यायाधीश) मेहगांव		राष्ट्रग. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड

अतः उपरोक्तानुसार कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2024 तैयार कर हस्ताक्षरार्थ किया गया।

**नोट:-** तहसील लहार, मेहगांव, गोहद में पदरथ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश को निर्देशित किया जाता है कि, उनके अवकाश पर रहने की दशा में उसी तहसील स्थापना पर उस समय उपरिथत वरिष्ठम् न्यायिक अधिकारी आपराधिक मामलों से संबंधित फाईलों पर हरताक्षर करेंगे।

नोट :- कार्य विभाजन पत्रक 2024 दिनांक 15 अप्रैल 2024 से प्रभावशील होगा।

  
 (राजीव कुमार अयाचरी)  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
  
 मिण्ड (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक—1433/सां.लि./2024

मिण्ड, दिनांक—16/04/2024

प्रतिलिपि :—

1. समस्त न्यायाधीश, मिण्ड/लहार/गोहद एवं मेहगाव की ओर सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष अभिभाषक संघ मिण्ड/लहार/गोहद एवं मेहगाव की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पंजीयन लिपिक/फाईलिंग काउण्टर मिण्ड/लहार/गोहद एवं मेहगाव की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट मिण्ड की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्य विभाजन पत्रक 2024 को जिला न्यायालय मिण्ड की बेबसाइट पर पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।

*✓ 16/04/2024*  
 (राजीव कुमार अयाची)  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
*✓ मिण्ड (म0प्र0)*

